<u>अतिमहत्वपूर्ण</u>

<u>संख्या-1673/9-8-2014-69ज/14</u>

प्रेषक,

आलोक रंजन,
मुख्य सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त मण्डलायुक्त,
उत्तर प्रदेश।

नगर विकास अनुभाग-8 लखनऊः: दिनांक 10 जुलाई, 2014

विषयः प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनसामान्य को उपलब्ध करायी जाने वाली जनसुविधाओं के परिप्रेक्ष्य में उत्पन्न समस्याओं के निवारण हेतु अधिकारों का प्रतिनिधायन किये जाने के सम्बन्ध में दिशा-निर्देश।

महोदय,

74वें सविधान संशोधन के पश्चात नागर निकायें एक स्वायत्त इकाई के रूप में अस्तित्व में आ गई किन्तु निकायों में अभी भी समन्वित नियोजन का अभाव है। नागर निकायों का अन्य इकाईयों/संगठनों के साथ आपसी समन्वय न होने से नगरीय क्षेत्रों में वैज्ञानिक एवं सुव्यवस्थित रूप से अवस्थापना सुविधाओं का विकास नहीं हो पा रहा है। नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु कार्यरत नागर निकायों तथा अन्य इकाईयों/संगठनों में दायित्वबोध के अभाव, अवैज्ञानिक तरीके से अवस्थापना सुविधाओं को प्रदान करने की प्रवृत्ति, शासन पर अनावश्यक निर्भरता आदि के कारण नागरिकों को असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है और उनकी मूलभूत आवश्यकताएं समय से पूर्ण नहीं हो पा रही है।

GO-ANy

2. प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनसामान्य को आवश्यक मूलभूत नागरिक सुविधाएं यथा-आवास, पेयजल, सड़कें, गलियां, जलनिकासी, सफाई व्यवस्था, कूडा प्रबन्धन, सीवरेज व्यवस्था, मार्ग प्रकाश, पार्क, स्वच्छ पर्यावरण, नगरीय परिवहन आदि उपलब्ध कराये जाने के उद्देश्य से शासन स्तर पर आवास एवं शहरी नियोजन विभाग, नगर विकास विभाग, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग गठित है। इन विभागों द्वारा प्रदेश की जनता को आवश्यक मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने हेतु नीतियों का निर्धारण किया जाता है तथा उन्हें क्रियान्वित कराए जाने हेतु समय-समय पर दिशा-निर्देश निर्गत किये जाते हैं। शासन के इन विभागों के दिशा-निर्देश के अनुरूप प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनसामान्य को उपलब्ध करायी जाने वाली नागरिक सुविधाओं का क्रियान्वयन स्थानीय स्तर पर विभिन्न विकास प्राधिकरणों, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, उत्तर प्रदेश जल निगम, जल संस्थान, नगर निगमों, नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों, जिला नगरीय विकास अभिकरणों आदि के माध्यम से किया जाता है, परन्तु इन इकाईयों के स्थानीय स्तर पर आपसी समन्वय व सामंजस्य न होने के कारण अवस्थापना सुविधाओं को प्रदत्त किये जाने में अप्रत्याशित विलम्ब होता है।

3. उपर्युक्त तथ्यों के दृष्टिगत शासन स्तर पर यह अनुभव किया जा रहा है कि मण्डल/जनपद/स्थानीय स्तर पर कार्यरत इन इकाइयों में पारस्परिक समन्वय का अभाव होने से छोटी-छोटी समस्याएं, जो स्थानीय स्तर पर ही वरिष्ठ अधिकारियों के स्तर पर निस्तारित की जा सकती हैं, उन्हें अनावश्यक रूप से शासन को संदर्भित कर दिया जाता है, जिससे प्रदेश के नगरीय क्षेत्रों में जनसामान्य को जो सुविधाएं त्वरित रूप से उपलब्ध हो सकती हैं, उन सुविधाओं को उपलब्ध कराये जाने में

काफी विलम्ब होता है, वहीं दूसरी ओर जनसामान्य को त्वरित गति से मूलभूत नागरिक सुविधाएं उपलब्ध कराये जाने की मंशा पर भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है।

4. अतः उक्त के परिप्रेक्ष्य में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि शासन द्वारा सम्यक विचारोपरांत निम्नानुसार कार्यवाही किए जाने का निर्णय लिया गया है :-

(1) शासन के विकास विभागों के मण्डल स्तर/जिलास्तर/स्थानीय स्तर पर कार्यरत इकाइयों यथा-विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, उत्तर प्रदेश जल निगम, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों, जिला नगरीय विकास अभिकरणों तथा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन आदि में जनसामान्य को आवश्यक मूलभूत जनसुविधाएं उपलब्ध कराए जाने से सम्बन्धित विकास कार्यो की मण्डलायुक्त द्वारा स्थानीय स्तर पर मण्डल कार्यालय अथवा मण्डल के किसी भी जनपद में प्रत्येक माह समीक्षा बैठक आयोजित की जायेगी, जिसमें विकास कार्यो से जुड़े उपर्युक्त विभागों के साथ-साथ जनपद के जिलाधिकारी एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक भी उपस्थित होंगे, तथा अन्य अधिकारी, जिन्हें समीक्षा बैठक हेतु मण्डलायुक्त द्वारा उचित समझा जाय, उन्हें भी समीक्षा बैठक में आमंत्रित किया जाय। मण्डलायुक्त द्वारा विकास कार्यो के साथ-साथ नगरीय क्षेत्रों में अवस्थापना सुविधाओं के विकास हेतु इन संस्थाओं द्वारा कराये जा रहे कार्यो का औचक निरीक्षण भी करेंगे। मण्डलायुक्त द्वारा औचक निरीक्षण के दौरान अवस्थापना सम्बन्धी विकास कार्यो की गुणवत्ता में तथा विभिन्न विभागों के आपसी समन्वय में भी यदि कोई कमी पायी जाती है तो सम्बन्धित संस्थाओं के विरूद्ध कठोर कार्यवाही भी करेंगे।

(2) शासन के विकास से सम्बन्धित विभागों के मण्डल स्तर/जिलास्तर/स्थानीय स्तर पर कार्यरत इकाइयों यथा-विकास प्राधिकरणों, नगर निगमों, उत्तर प्रदेश जल निगम, जल संस्थान, उत्तर प्रदेश आवास एवं विकास परिषद, नगर पालिका परिषदों/नगर पंचायतों, जिला नगरीय विकास अभिकरणों तथा उत्तर प्रदेश पावर कारपोरेशन आदि के द्वारा जनसामान्य को उपलब्ध करायी जाने वाली

मूलभूत जनसुविधाओं से सम्बन्धित विकास कार्यों को कराये जाने में यदि इन संस्थाओं के मध्य विवाद की स्थिति उत्पन्न होती है तो उसका निराकरण पहले स्थानीय स्तर पर जिलाधिकारी के द्वारा निदान किया जाय और यदि जिलाधिकारी के स्तर से प्रकरण का निदान किया जाना संभव नहीं हो तो उसे सम्बन्धित मण्डल के मण्डलायुक्त के समक्ष विवाद को प्रस्तुत किया जाय एवं मण्डलायुक्त द्वारा सभी सम्बन्धित पक्षों को सुनकर सुसंगत नियमों एवं शासन के द्वारा जारी किये गये दिशा-निर्देशों के अन्तर्गत इसका समाधान किया जाय।

(3) यदि किसी कारण से मण्डल स्तर पर समस्या का निस्तारण नहीं हो पाता है तो प्रकरण के संक्षिप्त विवरण, मण्डल स्तर पर समस्या का निस्तारण न होने के स्पष्ट कारणों सहित मण्डलायुक्त द्वारा अपनी संस्तुति सहित प्रकरण शासन को सन्दर्भित किया जाएगा।

कृपया उपर्युक्त आदेशों का कड़ाई से अनुपालन सुनिश्चित किया जाय।

भवदीय,

(आलोक रंजन)
मुख्य सचिव।

संख्या-1673/9-8-2014तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

1. निजी सचिव, मा. मंत्री जी/मा0 राज्यमंत्री जी, नगर विकास विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
2. प्रमुख सचिव, मा0 मुख्यमंत्री, उत्तर प्रदेश शासन।
3. समस्त मा0 महापौर, नगर निगम, उत्तर प्रदेश ।
4. प्रमुख सचिव/सचिव, आवास एवं शहरी नियोजन विभाग।
5. प्रमुख सचिव/सचिव, नगर विकास, नगरीय रोजगार एवं गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम विभाग, ऊर्जा विभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
6. निदेशक, नगरीय निकाय/निदेशक, सूडा, उत्तर प्रदेश।

7. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश।
8. समस्त उपाध्यक्ष, विकास प्राधिकरण उत्तर प्रदेश।
9. नगर आयुक्त, समस्त नगर निगम, उत्तर प्रदेश।
10. समस्त अध्यक्ष, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश।
11. समस्त परियोजना निदेशक, जिला नगरीय अभिकरण उत्तर प्रदेश
11. समस्त अधिशासी अधिकारी, नगर पालिका परिषद/नगर पंचायत, उत्तर प्रदेश
12. नगर विकास विभाग के समस्त अनुभाग/गंगासेल।
13. कम्प्यूटर सेल, नगर विकास विभाग को इस आशय से प्रेषित कि कृपया इसे विभागीय वेबसाइट एवं एन.आई.सी. की वेबसाइट पर अपलोड करने का कष्ट करें।
14. गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(श्रीप्रकाश सिंह)

सचिव